भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 397
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसान कल्याण योजनाओं कार्यान्वयन

397. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में किसानों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्नाटक राज्य में निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक राज्य में किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एक राज्य विषय है, तथापि, भारत सरकार कर्नाटक सहित देश में किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक के साथ-साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि का पूरा दायरा शामिल है। कर्नाटक राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना-वार बजट आवंटन और रिलीज **अनुबंध** में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करता है। चर्चाओं में प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय/राज्य आवश्यकताओं सहित कई मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निधि की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) को इसमें संशोधन का काम सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त, निधि की रिहाई, राज्यों द्वारा निधि

के उपयोग की गति पर निर्भर करती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के मामले में जस्ट इन टाइम रिलीज सहित इसी तरह की प्रक्रिया कार्यान्वित की जाती है, जिसमें व्यय विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के हिस्से की आवश्यकता नहीं होती है।

विभाग समय-समय पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए बजट के लेखों की नियमित निगरानी करता है, ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत इच्छित परिणाम, लाभ या उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

अनुबंध

कर्नाटक में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का योजनावार विवरण

(क) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मिशन का नाम/ योजना	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
क	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**										
1	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम-डीपीआर	249.72	200.66	218.84	113.08	206.09	51.52	82.89	129.52 *	82.89	41.46
2	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन*	76.54	142.18 *	76.54	147.84 *	70.00	103.37 *	77.54	197.54*	125.00	62.52
3	प्रति बूंद अधिक फसल	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	187.64	360.00	360.00	390.00	195.00
4	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता	13.41	13.10	0.15	0.00	4.52	1.13	6.71	18.71*	6.21	3.12
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	9.00	9.00	8.00	7.75	9.00	9.14 *	13.13	13.13	14.00	6.98
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	10.30	0.10	0.21	0.00	10.46	5.13	28.03	28.03	19.50	9.74
	कुल आरकेवीवाई	758.97	765.04	803.74	768.67	800.06	357.93	568.30	746.93	637.60	318.82
ख	**कृषोन्नति योजना (केवाई)**										
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	138.76	93.12	121.74	82.34	147.53	102.67	175.33	175.33	213.39	87.67
8	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयलपाम	11.80	8.13	13.98	4.17	9.89	5.52	7.54	3.46	19.57	9.78
9	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन					12.50	4.19	15.17	7.59	21.25	10.63
10	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	130.00	113.66	117.00	54.00	108.00	78.83	91.93	74.95	80.00	40.00
11	कृषि विस्तार उप-मिशन	30.51	19.23	32.00	24.00	26.00	13.00	20.37	20.37	21.00	10.50
12	राष्ट्रीय बांस मिशन	8.00	6.00	6.50	0.00	2.75	2.26	6.50	1.63	9.00	4.50
13	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	8.50	3.69	10.00	1.10	9.00	0.97	13.30	3.12	13.92	6.95
	कुल के.वाई.	327.57	243.83	301.22	165.61	315.67	207.43	330.14	286.45	378.13	170.02
	कुल आरकेवीवाई + केवाई	**1086.54**	**1008.87**	**1104.96**	**934.28**	**1115.74**	**565.36**	**898.44**	**1033.38**	**1015.72**	**488.84**

* आरई चरण में आवंटन बढ़ा

(ख) केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं

14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) – वर्ष 2016-2017 से 2024-25 तक **177.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया**	201.9 करोड़ किसान आवेदन	किसानों को 13,625.60 करोड़ रुपये का दावा भुगतान
15	वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसएस के अंतर्गत एमएसपी पर खरीदे गए दलहनों और तिलहनों का खरीद विवरण 1,11,617.67 मीट्रिक टन (दलहन, तिलहन और खोपरा)	1,10,838 लाभार्थी	1140.6475 करोड़ एमएसपी मूल्य
16	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (24.02.2019 से)	59,53,935 लाभार्थी	17,102.79 वितरित राशि (रुपए करोड़ में)
17	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) (12.09.2019 से)	41916 किसान नामांकित	
18	10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन (29.02.2020 से)	352 आवंटित एफपीओ	346 पंजीकृत एफपीओ
19	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) (8.07.2020 से)	कर्नाटक राज्य के लिए एआईएफ के अंतर्गत 3544 परियोजनाओं हेतु 3123 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 4973 करोड़ रुपये है।	

*****